

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

जयराज पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के रूप में ही किया जाये व कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित परिषद पर कोई पत्र में पत्र व्यवहार हुआ भी तो पत्र सम्बन्धित एवं विभागात्मक माना जाएगा वगैरे विवरण संलग्न है।



आम : कुलसचिवी
दूरभाष : (0751) 2541596
(0751) 2442029
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
प्रमाणिका/एच/सम्बद्धता/2012/5437

दिनांक: 29/11/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध एल.एम.आर. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर (0751-4011001) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संवाहित पोस्ट बैथिक बी.एस-सी. जर्निंग प्रथम वर्ष, पाठ्यक्रम यक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माजगीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. डी.एच. गोस्वामी, आचार्य, वनस्प्युटर साइंस अध्ययनशाखा, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संगोजक)
(0751-2442841)
- (2) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता महाविद्यालयीय विकास परिषद, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (3) डॉ. सुखदा शर्मा, प्राचार्या, वी.आई.एम.आर. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिचियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, घरोहर राशि, वास्तव लैसणिक/अलैसणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनायतित प्रमाण-पत्र, भवन, फ्रीडा परिषद एवं पाठ्यक्रम/आर्टिनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/लैसणिक एवं अलैसणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अर्पित करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद प्रमाणिक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। निश्चयानुसार अर्बन्ध जमा कराकर नवीन समिति जटित की जावेगी। जिससे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिचियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना स्वयं को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्रशासकीय लैसणिक जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदरेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संगोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, गोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)